ResearchGate

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/324389859

□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□, □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□

Research · January 2018

CITATIONS
0

READS
25

1 author:

Bhagawati Paraksh Sharma
Pacific University India

254 PUBLICATIONS **0** CITATIONS

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Bhagawati Paraksh Sharma on 10 April 2018.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

विश्व व्यापार संगठन

पुनर्सशक्तिकरण की नहीं, विवेकीकरण की चिंता करे भारत

हमारे वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु विश्व व्यापार संगठन के मंत्रीस्तरीय सम्मेलनों में नये समझौते के अनुमोदन में आ रही शिथिलता पर चिंतित हो, फरवरी 2018 में संगठन के 40 सदस्य देशों के वाणिज्य मंत्रियों का एक अनौपचारिक लघु मंत्रीस्तरीय सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। लेकिन, हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि 10–13 दिसंबर 2017 को संपन्न हुये इसके अनिर्णीत रहे 11वें मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में, धनी देशों द्वारा लाये नये मुद्दे यथा– बहुपक्षीय निवेश सहजीकरण (इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन), ई–कामर्स व मत्स्यकी अनुदान आदि भारत के हित में नहीं हैं। इस 11वें मंत्रीस्तरीय सम्मेलन का कोई घोषणा पत्र नहीं आने पर भी, ई–कामर्स व मत्स्यकी अनुदान पर वर्क प्रोग्राम पर सहमति भी बन गयी थी। ये मुद्दे भारत के हित में नहीं हैं। भारत के लिये सबसे महत्वपूर्ण, सार्वजनिक खाद्य भंडारण के मुद्दे पर कोई स्थायी समाधान खोजने के मुद्दे पर तो अमेरिका ने अपनी पिछली वचनबद्धता के उपरांत भी, उसकी सर्वथा अनदेखी कर उस पर एक एंगेज होने तक से इंकार कर दिया।

ऐसे में विश्व व्यापार संगठन के और सशक्तिकरण के प्रयास हमारे लिये कितने हितकर होंगे? उसके बाद उसकी दिशा क्या होगी? किन मुद्दों पर यह सशक्तिकरण हो, इस सशक्तिकरण की दूरगामी परिणति क्या रहे? इस सबके लिये अभी पहले वाणिज्य मंत्रालय को विचार करने के पूर्व विश्व व्यापार संगठन के भारतीय अर्थव्यवस्था पर हुये समग्र प्रभावों का आकलन आवश्यक है। पहले ही हम मात्रात्मक प्रतिबंध, क्रमबद्ध स्वदेशीकरण (फेज्ड इण्डिजेनाजेशन), पेटेंट, सोलर पैनल में घरेलू उद्योगों की प्राथमिकता आदि अनेक मुद्दे पर

भारत का हित विश्व व्यापार संगठन के विद्यमान बहुपक्षीय समझौतों को विवेक सम्मत एवं देशहित के अनुरूप पुनरीक्षण व विवेकीकरण अर्थात रेशनलाइजेशन है।

– प्रो. भगवती प्रकाश

उसके विवाद निवारण तंत्र में मुकदमें हारते गये हैं और न चाहते हुए भी अपनी नीतियों में कई परिवर्तन देश हित के विरूद्ध करने पड़े हैं। अभी भी 1988 के मूल्यों अनुचित आधार पर हमारे खाद्यान्न भंडारण पर आपत्ति पर शांन्ति प्रावधान अर्थात 'पीस क्लाज' प्रभावी है। लेकिन, उसका स्थायी समाधान नहीं आने पर हम अपनी कृषि पर कोई नवीन अनुदान नहीं दे पायेंगे। वस्तुतः, इस सार्वजनिक खाद्य भंडारण को छोड़ नवीन मुद्दों में से किसी में भी *भारत का हित नहीं है। भारत सहित* सभी विकासशील देशों के विकास के मार्ग में सर्वाधिक बाधक तो उरूग्वें चक्र के अधिकांश बहुपक्षीय समझौते हैं। उसके बाद में हुए 'सूचना प्रौद्योगिकी' व 'ई–कामर्स' आदि पर हुये समझौते भी हमारे प्रतिकूल ही हैं। वस्तुतः, भारत का हित विश्व व्यापार संगठन के विद्यमान बहुपक्षीय समझौतों को विवेक सम्मत एवं देशहित के अनुरूप पुनरीक्षण व विवेकीकरण अर्थात रेशनलाइजेशन है। इस विषय पर वाणिज्य मंत्रालय सदैव मौन रहा है। इस विषय पर मंत्रालय द्वारा आज तक कोई समेकित आकलन ही नहीं किया गया है कि विश्व व्यापार संगठन के विविध 60 से अधिक बहुपक्षीय व्यापार समझौतों यथा 'गेट', 'ट्रिप्स', ट्रिम्स आदि में भारत ने 1995 से आज तक क्या खोया व क्या पाया? इसलिये विश्व व्यापार संगठन के और सशक्तिकरण के प्रयास करने के पूर्व इसके भारतीय अर्थव्यवस्था पर हुये प्रभावों का एक वस्तुनिष्ठ आकलन पत्र तैयार होना चाहिये। आज पहली आवश्यकता देश के विकास, व्यापार व भुगतान संतुलन, औद्योगिक उत्पादन, स्वास्थ्य रक्षा एवं अनुसंधान आदि में बाधक इसके विविध बहुपक्षीय व्यापार समझौतों का पुनरीक्षण है। विश्व व्यापार संगठन तो वैसे ही आज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से भी अधिक सशक्त है कि

आज पहली आवश्यकता देश के विकास, व्यापार व भुगतान संतुलन, औद्योगिक उत्पादन, स्वास्थ्य रक्षा एवं अनुसंधान आदि में बाधक इसके विविध बहुपक्षीय व्यापार समझौतों का पुनरीक्षण है।

उसके विवाद निवारण तंत्र में हम पर कोई भी देश एक तरफा मुकदमा दर्ज कर, उसका निर्णय हमारे विरूद्ध जाने पर हमारी संप्रभुता की कीमत पर भी उस निर्णय को लागू करना पड़ता है, उसकी शक्तियां कहां कम है?

इसलिये हमारे वाणिज्य मंत्री को विश्व व्यापार संगठन के सशक्तिकरण हेतु चिंतित होकर यह लघु मंत्रीस्तरीय सम्मेलन आहूत करने के पूर्व एक बार, विगत 23 वर्षों में विश्व व्यापर संगठन के विविध बहुपक्षीय समझौतों के देश हित पर हुये प्रतिकूल प्रभावों का सघन आकलन एवं उनको निर्मूल करने हेतु उन सभी समझौतों को विवेकीकृत करने हेतु उनमें आवश्यक परिवर्तनों की रूपरेखा तय कर, उसके लिये कोई सत्र आहूत करना चाहिये। यह करना आज परम आवश्यक है। देश के सभी राष्ट्रवादी संगठनों की तो दीर्घकाल से विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में "मोड़ो, तोड़ो या छोड़ो" की मांग रही है। इसलिये इसके पुनर्सशक्तिकरण के स्थान पर इसे सही दिशा में मोड़ने की पहल भारत को करनी चाहिये। विश्व व्यापार संगठन के विधान के अनुसार, इसके मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में संशोधन प्रस्ताव पारित द्वारा विद्यमान बहुपक्षीय समझौतों में कोई भी संशोधन किया जा सकता है। इस संबंध में 164 सदस्यों के विश्व व्यापार संगठन में लगभग 120 देश विकासशील व न्यूनतम विकसित देश हैं। ऐसे में भारत को विश्व व्यापार संगठन के बहुपक्षीय व्यापार समझौतों में उन संशोधनों, परिवर्तनों व परिवर्द्धन पर विचार करना चाहिये, जो हमारे लिये आज परम आवश्यक है और जिनके कारण देश आज व्यापार, भुगतान व राजकोष में भारी घाटे व विकासार्थ संसाधन जुटाने में गंभीर बाधा अनुभव कर रहा है। देश आज, विश्व व्यापार संगठन के इन्हीं बहुपक्षीय समझौतों के कारण ही उत्पादन वृद्धि, कृषि विकास,

रोजगार सृजन व घरेलू निवेश में भारी बाधाओं का अनुभव कर रहा है और अनुसंधान व ज्ञान आधारित उद्योगों के विकास में भी समस्याओं का सामना कर रहा है। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत हुये 60 से अधिक विविध बहुपक्षीय समझौतों के दुष्प्रभावों की समीक्षा व तदनुसार उनमें संशोधन, आज भारत का प्रमुख एजेंडा होना चाहिये। इनके कुछ में से कुछ प्रभावों की संकेत रूप में चर्चा यहां की जा रही है –

1. **व्यापार घाटा व भुगतान संकटः** विश्व व्यापार संगठन के जनवरी 1, 1995 को अस्तित्व में आने के समय वर्ष 1994–95 में भारत का विदेश व्यापार घाटा मात्र 2.027 अरब डालर था, जो प्रशुल्क व व्यापार संबंधी सामान्य समझौते (गैट 1994) के कारण एक वर्ष में ही बढ़कर दोगुने से भी अधिक इसके 4.54 अरब डालर हो गया था। वित्तीय वर्ष 1997–98 में व्यापार घाटा 15.51 अरब डालर पहुंचने के बाद 2012 में 200 अरब डालर पर भी पहुंच गया था। आज वर्ष 2017–18 में भी अप्रैल से नवंबर के 8 माह में ही 99 अरब डालर पर है। वस्तुतः गेट 1994 के कारण ही देश में 1957 से जो आयातों पर मात्रात्मक गैर जरूरी आयातों पर रोक व कुटीर व लघु उद्योगों के संरक्षण प्रतिबंध थे। उन्हें 1996–97 से 2003 के बीच समाप्त करना पड़ा मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति हेतु भारत पर विश्व व्यापार संगठन के विवाद निवारण तंत्र में भारत पर वाद चला था। उसमें हमारे हार जाने से ये मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने पड़े थे।

लगभग 2500 से अधिक उत्पादों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति करनी पड़ी थी। इसके कारण उन सभी उत्पादों का आयात खुला हो गया और परिणाम स्वरूप लघु उद्योगों के लिये आरक्षित 1049 उद्योगों को भी अनारक्षित करना पड़ा। इसके कारण आज देश अपने ब्राण्ड से विविध उत्पाद उत्पादित कर रहे अधिकांश लघु व कुटिर उद्योग समाप्त हो गये। अब अधिकांश लघु उद्योग बड़े उद्योगों के सहायक उद्योग अथवा उनके लिये अनुबंध पर उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

वित्तीय वर्ष 1997–98 में व्यापार घाटा 15.51 अरब डालर पहुंचने के बाद 2012 में 200 अरब डालर पर भी पहुंच गया था। आज वर्ष 2017–18 में भी अप्रैल से नवंबर के 8 माह में ही 99 अरब डालर पर है।

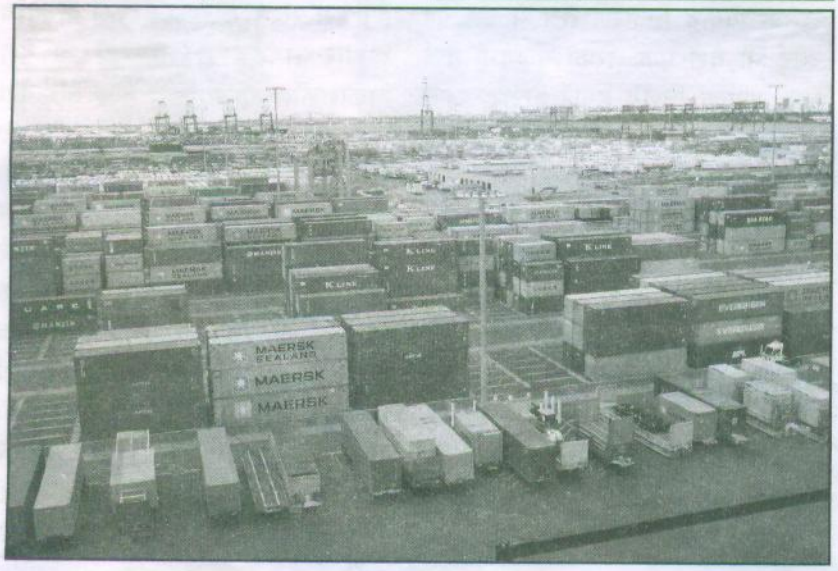

2. **उत्पादक उद्योगों व घरेलू मूल्य अवदान पर दुष्प्रभावः** विश्व व्यापार संगठन के "व्यापार संबंधी निवेश विषयक समझौते" अर्थात् "एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इंवेस्टमेंट मेजर्स" जिसे संक्षेप में "एग्रीमेंट ऑन ट्रिम्स" भी कहते हैं के अधीन हमारे सहित सभी सदस्य देशों की सरकारों का यह अधिकार समाप्त हो गया, जिसके अधीन कोई भी सरकार विदेशी निवेशकों को यह कह सकती थीं कि वे उस देश बेचे जोने वाले उत्पादों का या निश्चित अनुपात में उसके आदाय अर्थात हिस्से–पुर्जे स्थानीय स्तर पर उसी देश में बनायें या उसी देश में बने हिस्से–पुर्जे उपयोग में लें। उदाहरणतया कारों सहित अनेक उत्पादों के उत्पादन में क्रमबद्ध स्वदेशीकरण अर्थात फेज्ड इंडिजेनाइजेशन नीति के अंतर्गत प्रथम पांच वर्ष में 50 प्रतिशत व सात वर्ष में 70 प्रतिशत स्वदेशीकरण किया जाना आवश्यक था।

अब एग्रीमेंट ऑन ट्रिम्स के कारण ही टेलीकाम व इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से लेकर कार, ट्रक व बस तक सभी उत्पाद व उनके सारे हिस्से पुर्जे देशी व विदेशी कंपनियां देश से बाहर से लाकर बेचने को स्वतंत्र हैं। इसलिये न देश में रोजगार सृजन हो पा रहा है और न ही प्रौद्योगिकी का विकास हो पा रहा है। ट्रिम्स के प्रावधानों के कारण ही भारत सरकार को लाभांश संतुलनकारी प्रावधान को भी समाप्त करना पड़ा था। लाभांश संतुलकारी प्रावधान (डिविडेण्ड बेलेन्सिंग क्लाज) के अधीन विदेशी कंपनियों के लिये यह अनिवार्य था कि जितना लाभांश

वे देश से बाहर भेजती थीं, उतनी विदेशी मुद्रा, निर्यात से वापस अर्जित करनी होती थीं। आज विदेशी कंपनियों के द्वारा निरकुंश लाभांश प्रत्यर्पण (बाहर भेजने) से देश में उनके निवेश पर अर्जित आय में वार्षिक घाटा (इंवेस्टमेंट इन्कम डेफिसिट) 40 अरब डालर से भी ऊपर चला गया है। अर्थात भारत को अपने देश की कंपनियों के विदेशों में निवेश पर जो लाभांश मिलता है। उसकी तुलना में विदेशी कंपनियों द्वारा जो लाभांश विदेशों में भेजा जाता है, वह 40 अरब डालर वार्षिक से भी अधिक है। विदेश व्यापार के 100 डालर से अधिक के घाटे में यह 40 अरब डालर का निवेश आय का घाटा और जुड़कर हमारे भुगतान संतुलन को बिगाड़ता है। इन्हीं ट्रिम्स के प्रावधानों के कारण ही मनमोहन सिंह सरकार के काल में बनी टेलीकॉम मेन्युफेक्चरिंग पॉलिसी लागू नहीं की जा सकी, जिसमें देश में बिकने वाले टेलीकॉम उत्पादों में 30 प्रतिशत मूल्य योगदान (वेल्यू एडिशन) देश में ही किये जाने का प्रस्ताव था।

3. कृषि पर समझौते से कृषि आयात बाध्यता व अनुदान पर नियंत्रणः भारत की आधी से अधिक जनसंख्या का जीवन–आधार कृषि है। विश्व व्यापार संगठन के "कृषि पर समझौते" अर्थात "एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर" के कई प्रावधान हमारे हितों के गंभीर रूप से विरूद्ध है। इनमें मुद्रा स्फीति की अनदेखी कर हमारे खाद्यान्न भंडारण को अनुदान में गिन लेना, न्यूनतम बाजार पहुंच के अधीन कृषि उत्पादों के आयात की बाध्यता, अनुदानों पर 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा, नयी पादप प्रजातियों के पेटेंट के प्रावधान, कृषि आयात उदारीकरण से किसानों को उसकी उपज के न्यायोचित मूल्य न मिल पाना आदि अनेक संकट अत्यंत गंभीर हैं। इनकी चर्चा आगामी अंकों में की जायेगी।

4. अन्य समझौतेः एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स से देश के औषधि उद्योग, रसायन उद्योग व कृषि रसायन उद्योगों पर संकट, हमारी आयुर्वेदिक औषधियों पर पेटेंट की समस्या भी गंभीर है। सूचना प्रौद्योगिकी समझौते के प्रभाव भी घरेलू उत्पादन पर गंभीर है। 'गेट समझौते –1994' से लेकर 'कृषि पर समझौते", ट्रिप्स, ट्रिम्स, और सूचना प्रौद्योगिकी पर्यंत हुये सभी समझौतों के 23 वर्षों में हुये प्रभावों की समीक्षा कर, इनमें आवश्यक संशोधन की रूपरेखा पर वैश्विक सहमति बनाना, भारत की पहली प्राथमिकता होनी चाहिये। इन समझौतों के जो लाभ यूरो–अमेरिकी विश्व को अब तक हो रहे थे। उन पर आज चीन हावी हो रहा है। इसलिए आज के "डि–ग्लोबलाइजेशन" के दौर में चीन की आर्थिक बढ़त पर अंकुश हेतु कुछ धनी देश भी विश्व व्यापार संगठन के कुछ प्रावधानों पर पुनर्विचार हेतु तैयार हो सकते हैं। अन्यथा हम विश्व व्यापार संगठन के 120 से अधिक विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर हुये दुष्प्रभावों पर उन विकासशील देशों की सहमति के प्रयास तो कर ही सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन में 'एक देश–एक मत' का प्रावधान है। किसी देश के पास वीटों जैसा अधिकार नहीं है। उसके विधान में सर्वसम्मत निर्णय को प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान है। लेकिन, सर्वसम्मति के अभाव में मत विभाजन को भी प्रावधान है।

मूल उद्देश्यों से विरोधाभासः भारत व सभी विकासशील देशों के व्यापक हित में इस प्रकार के किसी भी संशोधन व परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण आधार विश्व व्यापार संगठन का विधान ही प्रदान करता है। उरूग्वे चक्र अंतिम अधिनियम का प्रथम समझौता ही "विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का समझौता" अर्थात "एग्रीमेंट एस्टेंलिशिंग दी वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन" है। इसकी प्रस्तावना में उद्धत उद्देश्यों[1] में कहा गया कि इसका उद्देश्य सभी देशों के विकास के स्तर को दृष्टिगत रखते हुए सदस्य देशों में नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना, पूर्ण रोजगार सुरक्षित करना, वास्तविक आय में सतत् वृद्धि और वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन व व्यापार में विस्तार करना है।

व्यवहार में भारत सहित सभी विकासशील देशों में इन उद्देश्यों के ठीक प्रतिकूल परिणाम हो रहे हैं। अतएवं, इन प्रतिकूल परिणामों के लिये उत्तरदायी सभी प्रावधानों के संशोधन का निर्देश विश्व व्यापार संगठन के विधान में ही है। इन सभी प्रभावों की समीक्षा इस लेख के द्वितीय भाग में की जायेगी। वैसे 1995 में विश्व व्यापार संगठन के निर्माण के पूर्व 1948 से लागू इसके पूर्व रूप "प्रशुल्क व व्यापार विषयक सामान्य समझौते" अर्थात "जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एण्ड ट्रेड" जिसे संक्षेप में गैट 1947 कहा जाता है मैं भी ऐसे ही न्याय संगत उद्देश्य रहे हैं। "गैट" के प्रारंभिक उद्देश्य अग्रानुसार रहे हैं।

गैट 1947 के प्रारंभिक उद्देश्यः

1. सदस्य देशों में पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करना।
2. विश्व उत्पादन में वृद्धि करना।
3. विश्व संसाधनों का विकास एवं उनका पूर्ण उपयोग करना।
4. विश्व में समग्र दृष्टिकोण के आधार पर संपूर्ण समाज के लोगों का जीवन स्तर ऊँचा उठाना।

(शेष अगले अंक में)

1. AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION
"Recognizing that their relations in the field of trade and economic endeavour should be conducted with a view to raising standards of living, ensuring full employment and a large and steadily growing volume of real income and effective demand, and expanding the production of and trade in goods and services, while allowing for the optimal use of the world's resources in accordance with the objective of sustainable development, seeking both to protect and preserve the environment and to enhance the means for doing so in a manner consistent with their respective needs and concerns at different levels of economic development".

View publication stats